FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखंड अधिकारी मुकाम बायतु

प्यारी देवी आदि बनाम पदमाराम आदि

किस्म मुकदमा 111/128 RTAct नं. 111/2021 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30.3.21	~~प्रार्थी~~/~~वादी~~/अपीलांट के वकील श्री कुम्भाराम [illegible] ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/~~वाद~~/अपील धारा 111, 128 ~~राजस्थान काश्तकारी~~/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /~~प्रतिवादी~~/~~रेस्पोंडेंट जरिये~~ नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 04/05/2021 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
04/05/21	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय तामील अप्राप्त / श्रीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिशल इन्तजार हाजा आगामी दिनांक 07/09/21 को पेश हो।	
07/09/21	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील मय [illegible] अप्राप्त / इन्तजार [illegible] 12/11/21 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:15 IST
Reason: SelfAttested

12/11/21 पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/11/2021 को पेश हो।

22/11/2021 पत्रावली आज प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत नया तोलेसर में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया कि प्रार्थी व विपक्षीगणों के खातेदारी खेत सेढ़-मेढ़ आये हुए है। प्रार्थी व विपक्षीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेढ़ व कोठे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ो का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। खेत के सेढ़ो को लेकर प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य हमेशा तनाजा बना रहता है। प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ो का सही ज्ञान करने हेतु नेपपमवंसी करवानी आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का नेपपमवंसी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेपपमवंसी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेपपमवंसी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बाप को कमिश्नर व सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक [illegible] कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि [illegible] सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के [illegible] खेत की [illegible] नेपपमवंसी मौके पर कमिश्नर शुदा जा[illegible] रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो। पत्रावली अमल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:15 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) बाप

न्यायालय
क्रमांक/वाद/2021/154
प्रार्थी
1. प्यारी देवी पत्नि कुम्हार
जाति कुम्हार

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1454 दिनांकः– 22/11/2021

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. प्यारी देवी पत्नि कुम्भाराम वगैरा जाति कुम्हार निवासी दानाणियों की ढाणी, सोमेसरा तहसील बायतु (बाड़मेर)		1. पबाराम पुत्र मोमताराम वगैरा 7 जाति कुम्हार निवासी दानाणियों की ढाणी, सोमेसरा तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 111/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा–दानाणियों की ढाणी पटवार हल्का–नोसर तहसील बायतु जिला–बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 585/513 रकबा 0.2023 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार बायतु को कमीशनर व सम्बन्धित भु.अ.नि. को सहायक कमिशनर नियुक्त किया जाकर आदेश किया जाता हैं कि वे स्वंय या अपने अधिनस्थ भू.अ. निरिक्षक से दोनों पक्षों की उपस्थिति में प्रार्थी के खातेदारी खेत की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमिशनर शुल्क 500/– जमा करवाकर करें। एंव पालना रिपोट पेंश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2021 / 1455–59 दिनांक– 22/11/2021

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एंव पालनार्थ प्रेषित हैं।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का नौसर को भेजकर लेख हैं कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी प्यारी देवी पत्नि कुम्भाराम वगैरा
4. पबाराम पुत्र मोमताराम वगैरा 7
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2022.10.13 17:12:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बायतु
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु